शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री राखी बिड़ला

दिनांक : 08.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 159

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 25 गज से भी छोटी मकानों में विभिन्न प्रकार की छोटी–छोटी फैक्ट्रियां उद्योग विभाग के नियमों का ताक पर रखकर धडल्ले से चलाई जा रही है।	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इस प्रकार का कोई भी सर्वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फैक्ट्री लाईसेंस विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
ख	इस तरह की गतिमान फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की क्या योजना विचारधीन है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** फैक्ट्री लाईसेंस विभाग संज्ञान में जब भी कोई अनाधिकृत औद्योगिक गतिविधियां आती है तो उस के उपर डी.एम.सी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है जैसे बिजली, पानी काटना एवं सील करना।
ग	यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करें,	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'ख' के अनुसार
घ	वर्ष 2010 से लेकर अब तक मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा किन अधिकारियों की देखरेख में कुल कितने बार ऐसे उद्योगों पर छापेमारी/निरीक्षण दौरे हुए, पूर्ण विवरण उपलब्ध करें,	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उत्तरी दिल्ली निगम के फैक्ट्री लाईसेंस विभाग द्वारा समय–समय पर अपने अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करता रहता है और यदि कोई अनाधिकृत गतिविधि चलती पायी जाती है तो उसके विरूद्ध डी.एम.सी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जती है।
ङ	क्या वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा ऐसी फैक्ट्रियों को रोकने के लिए मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाने की क्या कोई योजना प्रस्तावित है, और	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'घ' के अनुसार
च	यदि हां तो पूर्ण विवरण उपलबध करें?	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'घ' के अनुसार

R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat